

(34)

Rcms

2019/00013

6/10/19

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
शिवाधरी

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

बनाम करण, रंजेश, पैपेंकरण, रंजन पिळ्ळुकरण
कौम चारण निवासी सिणधरी चारणान,

मु. न. 34 | सन 2019

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01/20/219	<p>पटवारी हल्का..... (शिवाधरी) ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्. 2025 में मौजा..... (शिवाधरी) के खसरा संख्या 104/2 रकबा 0-15 बीघा किस्म भूमि (शुभ राहा) पर नाजायज अतिक्रमण कर का त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18/3/19 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">तहसीलदार सिणधरी</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल पैपेंकरण उपस्थित। नोटिस बाद लच्छि पात्र को शामिल मिले किताब डाक) गैर सायल के जवाब हेतु सायल चारण को दिनांक 28/3/19 को प्रस्तुत है।</p>	

18/3/19

तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर

28/3/19

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई। और साभल्य द्वारा पेशी के पश्चात प्रस्तुत जवाब को शामिल मिलल किया गया। और साभल्य अनुपस्थित। पत्रावली आई-37 दिनांक 15/4/19 के प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

15/4/19

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई। और साभल्य अनुपस्थित। पत्रावली आई-37 दिनांक 06/5/19 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

6/5/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। और साभल्य अनुपस्थित और साभल्य द्वारा दिनांक 18/3/19 के प्रस्तुत जवाब का भव्योक्त किया गया जवाब में कोई विधि संमत नहीं पाल गए एवं न ही और साभल्य द्वारा कबले के संदर्भ में कोई विधिभंग दवाविक प्रस्तुत किए। अतः और साभल्य को अतिक्रमि घोषित किया जाता है। पत्रावली फेसल सुगार है। निर्णय भव्योक्त के लिखा जाकर प्रस्तुत है। निर्णय सुले भाषालय के सुनाया गया। पत्रावली फेसल सुगार होकर अवर के को है।

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2019-20 के राजस्व लेखा पंजिका स. 4 के पृष्ठ सं. 13 पर जमाना/फरस नमाली राशि रु. 50/- की मात्रा दर्ज की गई।

तहसीलदार सिणधरी